

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

रामरतन सौंकरिया

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

आर.ए.एस.

69/2024 प्रा.पत्र/2024

23.09.2024

तारीख निर्णय

24.04.2025

सुरेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण, टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1-श्री बजरंग लाल शर्मा पुत्र श्री रामकिशन शर्मा निवासी ग्राम किरावल पोस्ट चावण्डिया तह. मालपुरा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड किरावल बूथ नं0 119 ग्राम किरावल पोस्ट चावण्डिया तह. मालपुरा जिला टोंक। पिनकोड-304504 मोबाईल नं0 9829327938

2-मैसर्स पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड किरावल बूथ नं0 119 ग्राम किरावल पोस्ट चावण्डिया तह. मालपुरा जिला टोंक। पिनकोड-304504।

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार।

2-अभिभाषक अप्रार्थी श्री गोविन्द नारायण शर्मा उप।

:-निर्णय:-

दिनांक 24/4/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.03.2024 को समय 08:10 ए.एम. पर मैसर्स पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड किरावल बूथ नं0 119 ग्राम किरावल पोस्ट चावण्डिया तह. मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री बजरंग लाल शर्मा पुत्र श्री रामकिशन शर्मा अपने प्रतिष्ठान मैसर्स पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड किरावल बूथ नं0 119 ग्राम किरावल पोस्ट चावण्डिया तह. मालपुरा तह. मालपुरा जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री बजरंग लाल शर्मा पुत्र श्री रामकिशन शर्मा को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री बजरंग लाल शर्मा पुत्र श्री रामकिशन शर्मा ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर ऑनलाईन आवेदन करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जम्मा को विक्रय करने हेतु बीएमसी/प्रतिष्ठान में एलुमिनियम की 4 केनों में लगभग



adl
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

120 लीटर मिक्सड मिल्क रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री बजरंग लाल शर्मा पुत्र श्री रामकिशन शर्मा को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्य करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री बजरंग लाल शर्मा पुत्र श्री रामकिशन शर्मा व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि प्रतिष्ठान/बीएमसी में लगभग 120 लीटर को अच्छी तरह हिला-मिलाकर पूर्णतया होमोजिनियस कर प्लास्टिक की बाल्टी में कुल 2 लीटर मिक्सड मिल्क ज्यों का त्यों नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा मिक्सड मिल्क 2 लीटर को प्लास्टिक की साफ व सूखी चार शिशियों में बराबर-बराबर प्रत्येक शिशी में 500-500 एम. एल. भरकर, प्रत्येक शिशी में बतौर परिरक्षित 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 40-40 बूंदे डालकर, शिशियों के ढक्कन से अच्छी तरह नियमानुसार एयरटाईट कर बन्द कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-4018 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-4018 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/466 दिनांक 30.04.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/1089/एक्ट/2024/1340 दिनांक 08.04.2024 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्य किया



2024
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

गोंया मिक्सड मिल्क खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011के अनुसार अवमानक(Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी श्री गोविन्दनारायण शर्मा उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ दूध विक्रेताओं से संग्रहित कर उसी अवस्था में विक्रय किया जा रहा था। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस मिक्सड मिल्क का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया मिक्सड मिल्क का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 50,000/- (अक्षरे पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/4/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(रामरतन सांकरिया)
न्यायाधीश अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज०